(7)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R- 1157- तीन/14

122
7-3-14

1- श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम पड़रा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

---------- निगरानी कर्ता ।

बनाम

शासन म.प्र.

------- गैर निगरानी कर्ता ।

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के राजस्व प्र.क्र. 37अ74/मूल/10-11 आदेश दिनांक 9-4-13 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. सन 1959 ई. ।

श्रीमती विमलादेवी द्विवेदी/21/6/19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1151 /III/ 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 39/अ-74/10-11 में पारित आदेश दिनांक 9-4-13 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 7-3-14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने आपत्ति की कि केबिएटकर्ता विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है इसलिये निगरानी में उन्हें केविएट प्रस्तुत करने एंव पक्षकार बनने का हक प्राप्त नहीं है। 3/ केबिएटकर्ता हितबद्व पक्षकार है अथवा नहीं इस विचार करने के पूर्व निगरानी की प्रचलनशीलता पर विचार किया जाना है। यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा व्दारा म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत मूल न्यायालय की हैसियत से पारित आदेश दिनांक 9-4-2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 1. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-44 एंव 107 - कलेक्टर व्दारा पारित अंतिम आदेश - अपील योग्य है - सीधे मण्डल में पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं । 2. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-44 एंव 107 - कलेक्टर व्दारा पारित अंतिम आदेश - प्रथम अपील आयुक्त को होगी एंव द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल में पोषणीय है। उपरोक्त कारणों से विचाराधीन निगरानी अप्रचलनशील एंव अग्राह्य होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (अशोक शिवहरे) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर	